<u>उद्देश्य :</u>

परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में चिकित्साा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति में गुणात्मक सुधार लाना तथा गरीब जनता, महिला एवं बच्चों को सर्व सुलभ एवं जवाबदेह चिकित्सा सहायता प्रदान करना है, जिससे सरकारी संस्थाओं के प्रति आम जनता में विश्वास हो। यह परियोजना निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होगीः–

- नीतिगत एवं संस्थागत सुधारों द्वारा प्राथमिक तथा द्वितीय स्तर के चिकित्सा संस्थानो की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- चिकित्सा सेवाओं को प्रदान करने में उनकी उपलब्धता बढ़ाना तथा समान रूप से समुदाय तक पहुँच स्थपित करना विशेषतः (पिछड़े वर्गो में जैसे, बी.पी.एल., जनजाति क्षेत्र, महिलाएं एवं बच्चे इत्यादि।

इस परियोजना के अन्तर्गत चयनित 238 स्वास्थ्य संस्थाओं को विभिन्न तरीकों से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिसमें 28 जिला चिकित्सालय, 23 उप जिला चिकित्सालय, 113 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (उप–जिला स्तर), 72 सामुदायिक स्वा. केन्द्र (प्रत्येक ब्लॉक में एक) और 2 ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थित, भी शामिल हैं।

<u>क्रियान्वयन</u>

आर.एच.एस.डी.पी. का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक के नेतृत्व में परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा किया जा रहा है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में परियोजना समन्वयन व मोनिटरिंग समिति गठित हुई है। इसके अन्य सदस्य है– प्रमुख जिला परिषद् – सहअध्यक्ष , प्रधान (दो पंचायत समिति से मनोनयन द्वारा)– सदस्य, दो स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि (मनोनयन द्वारा), दो सामाजिक कार्यकर्ता (स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र से–मनोनयन द्वारा), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सदस्य सचिव)। जिला स्तर पर क्रियान्वयन हेतु हर जिले में चिकित्सकों को जिला परियोजना समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है।